न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 116 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
रूपाराम पुत्र डालूराम उम्र 70 साल जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर	1. जेठाराम पुत्र पुनमाराम 2. मोटाराम पुत्र पुनमाराम 3. पनी पत्नी पुनमाराम 4. मगाराम पुत्र जोगाराम 5. नारायण पुत्र जोगाराम 6. चिमाराम पुत्र जोगाराम 7. अणसी पत्नी जोगाराम 8. खेमाराम पुत्र डालूराम 9. खेताराम पुत्र पदमाराम 10. तिलोकाराम पुत्र पदमाराम 11. भूराराम पुत्र पदमाराम 12. बाबूराम पुत्र पदमाराम 13. माडूदेवी पत्नी पदमाराम जाति जाट निवासी लाला की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर 14. श्रीमान तहसीलदार नौखड़ा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70 / 2015 बअनवान रूपाराम बनाम पदमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.02.2024 के विरूद्ध पेष हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री जोगराज पोटलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल उतरदाता संख्या 10 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.10.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादग्रस्त आराजी तहसील नौखड़ा के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मौजा बाण्ड में खसरा संख्या 454, 475 रकबा 25.10, 25.07 बीघा, राजस्व ग्राम लाला की बेरी में खसरा संख्या 310, 312 रकबा 02.12, 30.05 बीघा, राजस्व ग्राम खड़ीयाली नाडी में खसरा संख्या 505 रकबा 26.18 बीघा, राजस्व ग्राम राणासर खुर्द में खसरा संख्या 121 रकबा 02.06 बीघा कुल रकबा 112.18 बीघा का आया हुआ है। उक्त समस्त आराजी अपीलांट की पैतृक है और जिसमें अपीलांट का 1/5 हिस्सा है और इसी तरह से पक्षकारान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित मौका दिये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार नौखड़ा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार नौखड़ा द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार नौखड़ा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पैतृक है और अपीलांट अपने खसरों में अपने हिस्सेनुसार कब्जा काश्त में हैं उसी के अनुरूप बंटवाड़ा नहीं कर ग्राम लाला की बेरी के खसरा संख्या 312 में वादी का खेत मौके पर सड़क गलत जगह पर बनने के तीन पक्षकार का खेत सड़क से लगता है फिर भी वादी के खेत के आगे केसरिया रंग में प्रतिवादी तिलोकाराम का खेत दे कर वादी को सड़क सुविधा से वंचित किया गया है। वर्तमान में सड़क हेतु प्रस्तावित भूमि पर उतरदाता दुकानों का निर्माण कर रहे है तथा अपीलांटस के आने जाने हेतु रास्ते को अवरूद्ध कर रहे है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार नौखड़ा स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव में उतरदाता के हिस्से की भूमि खसरा संख्या 312 मौजा लाला की देरी में आने जाने हेतु रास्ते का प्रावधान करते हुए भूमि उतरदाता संख्या 10 के हिस्से में रखी गई। उतरदाता संख्या 10 द्वारा उपरोक्त अपने हिस्से की भूमि को कम करते हुए रास्ते के लिए भूमि को राज हक में कर दिया है वर्तमान में सरकार के खाते में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के संबंध में कोई नोटिस व सूचना नहीं दी गई थी। दिनांक 10.06.2024 को सहखातेदारों के द्वारा अपने खेत का सीमा ज्ञान करवाये जाने पर पटवारी मौके पर आया जिस पर पटवारी के द्वारा वादी को जानकारी दी गई कि आपके उक्त दावे का फैसला हो गया है जिस पर वादी के द्वारा न्यायालय में जाकर अपने दावे की सम्पूर्ण पत्रावली प्रप्त करने हेतु दिनांक 10.06.2024 को आवेदन पेश किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सम्यक तत्परता के साथ अपील पेश की गई। अपील पेश करने में अपीलांटस द्वारा जानुबुझकर कोई देरी नहीं की गई। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

की जानकारी अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय पारित करने की दिनांक से ही हो गई थी, क्योंकि इस वाद की पूरी प्रक्रिया की जानकारी अपीलांटस को रही है। अपीलकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ज्ञान किस प्रकार, किसके माध्यम से हुआ इसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना–पत्रों में नहीं किया गया है। अपीलांट की अपीले मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है। अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र को खारिज फरमाया जाकर अपीले इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 30.05.2027 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई उसके पश्चात पत्रावली को फैशल कर दिया गया। मातहत अदालत की पत्रावली पर ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेजात नहीं जिससे यह साबित होता हो कि अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटस को न्यायालय की तरफ से सूचना दी गई हो। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अपीलांटस एवं अपीलांटस के अधिवक्ता के आदेशिका पर हस्ताक्षर नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांटस/वादी को न्यायालय की तरफ से कोई सूचना/नोटिस नहीं दिये गये। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटस के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे अपीलाधीन आराजी पर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटस के कब्जे काश्त के विपिरित तैयार किया गया। अपीलांट्स को भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बंटवारे में भूमि नहीं दी गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना नहीं की गई है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री हस्तगत प्रकरण में पारित प्राथमिक डिक्री के विपरित पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2015 बअनवान रूपाराम बनाम पदमाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 12.02.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर तहसीलदार स्वंय मौके पर जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर मातहत अदालत में पेश होने पर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.11.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर